PV

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/205

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
प्रार्थना पत्र 111-128	136/24	13/5/24	30/5/24	30/5/24

अनवान

श्री महावीर पिता बजरंग

निवासी वि. बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

डिक्रीदार

श्री ब्रह्म प्रकाश बगड़ी

श्री भूरीबाई पति गोपीलाल

निवासी लामनाहेड़ा, बिजौलिया

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

मदयून

श्री .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/05/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 30/05/2024 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
30/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश, तहसीलदार बिजौलिया को पालना के लिए लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 136/24 तारीख दायर 13/5/24

1. महावीर पिता बजरंग लाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.....प्रार्थी

बनाम्

1. भूलीबाई पत्नि गेंदीलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी लाम्बाखोह तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0
2. रामलाल पिता देबी जाति भील उम्र वयस्क निवासी गुढा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 30/5/24

प्रार्थना पत्र महावीर ने जरिये अभिभाषक श्री **ब्रहमप्रकाश तिवाडी एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम गुढा पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियां की सरहद में **खाता संख्या 199 पर अंकित आराजी संख्या 283 रकबा 0.6637 हे0 भूमि** स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक कास्यां को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस ~~500~~ /– रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

.....निरन्तर पेज संख्या 2 पर

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम गुढा पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियां की सरहद में **खाता संख्या 199 पर अंकित आराजी संख्या 283 रकबा 0.6637 हे0 भूमि** की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या –136/24 तारीख दायर 13/05/24

प्रेषिति :–तहसीलदार बिजौलियाँ

विषय :– प्रकरण संख्या 136/24 पत्थरगढ़ी बाबत्।

महावीर पिता बजरंग लाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.....प्रार्थी

बनाम्

1. **भूलीबाई पत्नि गेंदीलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी लाम्बाखोह तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0**
2. **रामलाल पिता देबी जाति भील उम्र वयस्क निवासी गुढा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0**

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनावेदी प्रकरण में आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम गुढा पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियां की सरहद में **खाता संख्या 199 पर अंकित आराजी संख्या 283 रकबा 0.6637 हे0 भूमि** की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें।आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक कास्यां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/–रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थीगण अदा करेगें। पत्थरगडी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसियान को सूचित करते हुये पत्थरगडी करें।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा